न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 147/2020 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2020/00333
दायर दिनांक :– 18.11.2020 निर्णय दिनांक :– 13.02.2025

1. जमालखातु पुत्री अब्दुल करीम जाति मुसलमान निवासी शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. मो. शरीफ पुत्र शेख मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी भाखरिया तहसील बाप जिला फलोदी
2. साले मो. पुत्र शेखा मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी भाखरिया तहसील बाप जिला फलोदी
3. जीवतों पत्नी शेख मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी भाखरिया तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री करणीसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थी

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने एक नियमित राजस्व वाद स्थायी निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती अभिलेख का न्यायालय हाजा में अप्रार्थीगण के विरूद्व पेश किया है प्रार्थी का वाद अभिवचन एवं दस्तावेजात के अधार पर प्रथम दृष्टयां साबित है एवं प्रार्थी को वाद में सफलता मिलने की शत प्रतिशत उम्मीद है। ग्राम शेखासर तहसील बाप में खसरा नम्बर 766/2 रकबा 11–17 बीघा तथा ग्राम भाखरिया तहसील बाप में खसरा नम्बर 1199 रकबा 4–14 बीघा, खसरा नम्बर 1200 रकबा 5–15 बीघा, खसरा नम्बर 1201 रकबा 18–06 बीघा, खसरा नम्बर 1202 रकबा 0–16 बीघा, खसरा नम्बर 1204 रकबा 39–06 बीघा, खसरा नम्बर 1205 रकबा 2–15 बीघा भूमि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों व कब्जा काश्त की स्थित है। उक्त वादग्रस्त काश्त भूमि की प्रार्थीनी एकांकी स्वामी काबिज है और प्रत्येक वर्ष काश्त कर फसल एवं प्राकृतिक पैदावर का उपयोग, उपभोग करती चली आ रही है प्रार्थीनी की उक्त काश्त भूमि खूंटे रोपकर तारबंदी कर घेरी हुई है। प्रार्थीनी अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी करवाने की अधिकारिणी है कि उपरोक्त वर्णित खसरान् कब्जा काश्त की वादग्रस्त काश्त भूमि प्रार्थीनी की रहवासी ढाणी व कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में अप्रार्थीगण किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वंय करे न किसी अन्य से करावे। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद

13/2/25

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अवलोकन पाया गया कि विवादग्रस्त खसरान् की भूमि में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की भूमि है जो जमाबंदी सें साबित है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की भूमि में कब्जा करने पर उतारू है। इसलिए वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से रोका जाना उचित है। अतः पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात के आधार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित होने के कारण स्वीकार किया जाकर अस्थायी निषेधाज्ञा ता फैसला दावा इस अमर की जारी की जाती है कि ग्राम शेखासर तहसील बाप में खसरा नम्बर 766/2 रकबा 11–17 बीघा तथा ग्राम भाखरिया तहसील बाप में खसरा नम्बर 1199 रकबा 4–14 बीघा, खसरा नम्बर 1200 रकबा 5–15 बीघा, खसरा नम्बर 1201 रकबा 18–06 बीघा, खसरा नम्बर 1202 रकबा 0–16 बीघा, खसरा नम्बर 1204 रकबा 39–06 बीघा, खसरा नम्बर 1205 रकबा 2–15 बीघा भूमि में अप्रार्थीगण मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)